फर्द अहकाम

(नियम 26)

अति0 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या 229/2016

सरकार बनाम मैसर्स कान्हा वुड इण्ड0 वगैरह

दिनांकः 04-05-2018

विद्वान अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

इस स्टेज पर अभियुक्त सुशील तथा मै0 कान्हा वुड इण्ड0 का पार्टनर सुशील अग्रवाल के होने से सुशील अग्रवाल द्वारा ही मै0 कान्हा वुड इण्ड0 व स्वयं द्वारा जरिये अधिवक्ता जुर्म स्वीकृति का प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से पेश कर अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध समस्त साक्ष्य समाप्त की गई।

अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकृति की दरख्वास्त पेश कर अपना जुर्म स्वीकार करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण मै0 कान्हा वुड इण्ड0 व उसके पार्टनर सुशील अग्रवाल को अपराध अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो, 1986 में दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि अभियुक्त संख्या एक फर्म है तथा उसका पार्टनर अभियुक्त संख्या 2 सुशील अग्रवाल ही है, जिसका यह प्रथम अपराध है। उसने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया से जुर्म स्वीकार का प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसके खिलाफ पूर्व में दोषसिद्धि का कोई अपराध पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा किया जावे, जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका

विरोध करते हुए अभियुक्त को सख्त सजा से दण्डित करने का निवेदन किया।

तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति, अभियुक्त द्वारा लोक अदालत की भावना से स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति दरख्वास्त पेश कर अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार करने के तथ्य को देखते हुये अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाकर परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्तगण मैसर्स कान्हा वुड इण्डस्ट्रीज, खसरा नम्बर 3109/1/3 प्लाट नम्बर 176 के सामने रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, जिला जयपुर राज. जरिये पार्टनर सुशील अग्रवाल व सुशील अग्रवाल, पार्टनर मै0 कान्हा वुड इण्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 3109/1/3 प्लाट नम्बर 176 के सामने रीको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, जिला जयपुर निवासी ए–302 महाराजा अपार्टमेन्ट, बनीपार्क, जयपुर को धारा 11 सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अपराध में दोष–सिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत पॉच हजार रूपये का जमानतनामा व इसी राशि का स्वंय का मुचलका इस न्यायालय के सन्तोषप्रद इस आशय का पेश कर हस्तगत करवा दे कि वह आगामी एक वर्ष की समयावधि में परिशान्ति एवं सदाचरण बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित आयेगा एवं साथ ही अभियुक्त धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन व्यय की राशि 5000/–रूपये जमा करवा दी जावे, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है।

अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि

अभियुक्तगण धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में पांच हजार रूपये के निजी मुचलके व इसी राशि के जमानतनामे भी पेश कर तस्दीक करावे।

आदेशानुसार अभियुक्त सुशील अग्रवाल द्वारा धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम व धारा 437क के तहत जमानत मुचलके पेश किए गए, जिन्हें बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

अभियुक्त द्वारा अभियोजन राशि 5000/– रूपये जरिये रसीद संख्या 16038 दिनांकित 04.05.2018 पर जमा करवाये।

अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रियंका पारीक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–07,
... महानगर।

मुख्य प्रतिलिपिक
... महानगर